

प्रेषक,

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
फैजाबाद।

प्रबन्धक,

..... त्रिबेशी आदर्श विद्यालय, डोमनेपुर
..... विद्यालय संज्ञा क्र. २६२ (५६०/१५५)

पत्रांक : शि०स०/२१/११-१२

/१९९०-९१ दिनांक : १५-८-९१

विषय : विद्यालय की स्थायी मान्यता देने के संबंध में। (प्राइमरी स्तर)

महोदय,

प्राथमिक जनपद स्तरीय मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को (प्राइमरी) स्तर कक्षा-१ से कक्षा-५ तक की स्थायी मान्यता निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है।

१. नर्सरी अथवा मान्देंतरी कक्षाओं का संचालन नहीं किया जायेगा।
२. विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम तथा पुस्तकें ही लागू की जायेगी।
३. निर्धारित शुल्क ही लिया जायेगा।
४. विभागीय नियमों का पालन किया जायेगा।

मान्यता आवेदन-पत्र में उल्लिखित तथ्यों एवं प्राप्त अभिलेखों के असत्य होने की स्थिति में तथा उक्त प्रतिबन्धों के विपरीत कार्य करने की स्थिति में विद्यालय को प्रदान की गई उपर्युक्त मान्यता समाप्त करने का अधिकार समिति के निर्णयानुसार अधोहस्ताक्षरी को सदैव सुरक्षित रहेगा।

भवदीय,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
फैजाबाद।

/१९९०-९१

उसी तिथि को।

15/8/91

पृ०सं० : शि०स०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
२. उप विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद।
३. उप बालिका विद्यालय निरीक्षिका, फैजाबाद।
४. शिक्षा अधीक्षक, नगर पालिका, सदर तथा टाण्डा, फैजाबाद।
५. जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, फैजाबाद।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
फैजाबाद।